

स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025

निविदा सूचना

दिनांक: 21 फरवरी 2017

संलग्नक I में बताई गई नमूनन प्रक्रिया और निबंधनों व शर्तों के अनुसार, निर्यातकों द्वारा मसालों व मसाला उत्पादों के निर्यात हेतु मसालों के नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग के पर्यवेक्षण के लिए **आई एस ओ/आई ई सी 17025 या आई एस ओ 9001 गुणवत्ता प्रमाणन धारक मान्यताप्राप्त सर्वेक्षकों से प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएँ संलग्नक II में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अनुबंध II में दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग निविदाएँ प्रस्तुत की जानी चाहिए। क्षेत्रों की सूची संलग्नक I, पैरा.16 में दी गई है।**

" **मसालों व मसाला उत्पाद** परेषणों का नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग का पर्यवेक्षण चलाने के लिए निविदा " उपरिलिखित, मोहरबंद लिफाफा सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर लिए, एरणाकुलम में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1000/-रु.(अप्रतिदेय) के निविदा-शुल्क के साथ 9 मार्च 2017 को 3.00 बजे तक या उसके पूर्व निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पी.बी.नं.2277, पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची-682025 को भेज दिया जाना चाहिए।

कार्य के निबंधन व शर्तों और निर्धारित आवेदन-प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग का पर्यवेक्षण चलाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना, गुणवत्ता प्रमाणन और योग्यता प्राप्त कार्मिक वाले फ़र्मों पर ही विचार किया जाएगा।

स्पाइसेस बोर्ड, बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार/निरस्त करने या निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है। निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदाएँ 10 मार्च 2017 को सुबह 11.00 बजे खोली जाएंगी।

निदेशक (विपणन)

मसालों व मसाले उत्पादों का नमूनन/कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण की कार्यविधि,निबंधन और शर्तें

1. निर्यातक, जिन मर्दों का नमूनन किया जाना है, उनका विवरण सहित निर्धारित सूचना ऑन-लाइन निर्यात समर्थन प्रणाली [ई एस एस-एक्सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम] द्वारा भेजेगा। संप्रति मिर्च एवं उससे संबद्ध उत्पाद करी पाउडर, मसाले, अचार, करी पेस्ट आदि, हल्दी पाउडर, मिसरी लेपित बड़ी सौंफ बीज, जायफल व जायफल उत्पाद, अदरक, करी पत्ता, हल्दी, जावित्री(मेस), इलायची, (काली)कालीमिर्च, मेथी और जीरा एफ्लाटोक्सिन, सुडान I-IV डाई, नाशकजीवनाशी अवशेष, सनसेट येलो जैसे रासायनिक पैरामीटरों तथा अन्य बीज/बाहरी पदार्थ जैसे भौतिक पैरामीटरों की अनिवार्य जांचवाली मर्दें हैं। सूक्ष्मजीवविज्ञान में यू एस ए को निर्यात किए जाने वाले मिर्च व मिर्च उत्पाद, जीरा साबुत/पीसा और पेस्ट सहित मसालों के सभी मिश्रित रूपों के परेषण में उनका अनिवार्य नमूनन और सालमोनेला की जांच शामिल की गई है।
2. ऑन-लाइन सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड प्राधिकृत नमूनन एजेंसियों को नमूनन-कार्य सौंप देगा और ई एस एस के जरिए ऑन-लाइन द्वारा नमूनन-कार्य के लिए उसको हस्तांतरित किया जाएगा।
3. ऑन-लाइन सूचना के आधार पर, सौंपे गए कार्य को स्वीकार करना पड़ता है और उसको स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले नमूनन प्रतिमानकों के अनुसार भौतिक रूप से नमूनों को निकालते हुए निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर सर्वेक्षकों द्वारा चलाया जाना चाहिए। नमूनन या कंटेनर स्टफिंग के लिए सौंपे गए कार्य में लगने के पहले प्राधिकृत नमूनन- व्यक्ति को निर्यातकों के साथ नमूनन/स्टफिंग स्थान व समय की पुष्टि करनी होगी ताकि बेकार दौरों से बच जाएँ। प्राधिकृत एजेंसी बेकार दौरों के लिए दावा नहीं कर सकती।
4. विनिर्दिष्ट विश्लेषणात्मक चार्ज, **रेखित डिमांड ड्राफ्ट /इ-भुगतान** के जरिए संबंधित निर्यातक से अपेक्षित मसाला-विश्लेषण के सत्यापन पर संगृहीत किया जाना है। डिमांड ड्राफ्ट के मामले में, उसको बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालयों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और इ-भुगतान के मामले में यू टी आर संख्या, भुगतान की तिथि और रकम के बारे में कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। ई यू नमूनन विनियम ई सी सं.401/2006 या आई एस ओ 948:1980 या यू एस एफ डी ए बी ए एम अध्याय 1 के अनुसार सर्वेक्षक/कों द्वारा नमूनन कार्य चलाया जाना है। नमूनन एजेंसी द्वारा नमूनन के औजार जैसे कि स्मार्ट फोन, स्कूप, स्माल बैलन्स, चाकू, प्लास्टिक शीट, टैग, स्टेराइल बैग, थ्रेड आदि और ग्लाउस, सेफ्टी शू, गोगिल्स, मैस्क आदि वैयक्तिक संरक्षात्मक उपकरण सर्वेक्षकों को उपलब्ध कराया जाना है। नमूनन एजेंसी को, सौंपे गए कार्य के नमूनन कार्य को ऑन-लाइन निर्यात समर्थन प्रणाली (ई एस एस) में/मोबाइल एप का इस्तेमाल करते हुए अद्यतन बनाया जाना है और एजेंसी द्वारा निकाले गए नमूनों के साथ बोर्ड के संबंधित कार्यालय के नमूनन प्राप्ति डेस्क(एस आर डी) को उसका प्रिंट आउट प्रस्तुत करना है।

5. विवरण के साथ भुगतान संबंधी लिखत की रास्ते में खराबी यदि कोई हो, तो उससे बचाने के लिए अलग लिफाफे में भेजा जाना चाहिए। नमूने को अविकल और अपूतिक भेजने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे निकाला गया हो, नमूना उसी दिन स्पाइसेस बोर्ड के नामित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/नमूना प्राप्ति डेस्क (एस आर डी) को सूचनार्थ प्रति के साथ दो प्रतियों में, नमूनन रिपोर्ट सहित सर्वेक्षण के मुद्रित मोहरबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए।
6. सालमोनेला-विश्लेषण के नमूने सर्वेक्षक के मुद्रित लिफाफे में डालने के पहले विसंक्रमित नमूना बैगों में पैक किए जाएंगे, जो अपूतिक और मुहरबंद हो।
7. नमूनन के बाद, प्राधिकृत एजेंसी को परेषण की रिपोर्ट/टैग के वितरण के साथ निर्यात के लिए नमूनित परेषण के लॉट को ढेर लगाकर मुद्रित करना है। एजेंसी को निर्यात परेषण के स्टफिंग के दौरान यह सुनिश्चित करना है कि ढेर और मोहर बरकरार हो।
8. विभिन्न क्षेत्रों से प्रति माह प्राप्त होने वाले नमूनों की संख्या लगभग निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	नमूनों की संख्या (लगभग)
1	केरल और कर्नाटक (सहित)	700
2	तमिलनाडु और पांडिचेरी (सहित)	1110
3	महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश और गोआ (सहित)	1015
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	300
5	पश्चिम बंगाल, ओड़ीषा और उत्तर पूर्व (सहित)	300
6	गुजरात और राजस्थान(सहित)	400
7	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर(सहित)	50

नोट: ऊपर सूचित नमूनों की संख्या में प्रति महीना बदलाव हो सकता है।

9. दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के विनिर्दिष्ट राष्ट्रों को साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में, महासागर कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रक जैसा कि मामला हो, में लदान के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी "नमूना निकाला प्रमाणपत्र" जारी करते हुए नमूना निकाला जा सकता है। इस मामले में अलग से कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण अपेक्षित नहीं, चूंकि ऐसे मामलों में नमूना कंटेनर / ट्रकों में लदान के दौरान निकाला जाता है।
10. प्रयोगशाला से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नमूना प्राप्ति डेस्क ई एस एस में विश्लेषण का परिणाम (अनुमत/अननुमत) अद्यतन बनाएगा। अनुमत परिणाम के आधार पर, निर्यातक ऑन-लाइन के माध्यम से सर्वेक्षकों को कंटेनर स्टफिंग के लिए अनुदेश भेजेगा, जिसको नामित एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाना होगा। स्टफिंग पर्यवेक्षण के लिए जाने से

पहले सर्वेक्षक को बोर्ड से असली विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संगृहीत करनी है। स्टफिंग के वस्तुगत पर्यवेक्षण के उपरांत, कंटेनर संख्या, स्टफिंग की तिथि आदि का उल्लेख करते हुए निर्यातक को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हस्तांतरित की जानी चाहिए।

11. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्यात केलिए जारी की गई " अनुमत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट " के आधार पर ही अनिवार्य मसाला मदों (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को साबुत मिर्च को छोड़कर) का कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण किया जाएगा।
12. कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रक, जो भी हो, में स्टफिंग पूरा होने पर सर्वेक्षक द्वारा उसी दिन निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाइन के ज़रिए (ई एस एस) स्पाइसेस बोर्ड को स्टफिंग पर्यवेक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी।
13. स्टेशनों में स्थित नामित प्रयोगशाला / स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालय को नमूना भेजने केलिए असली कोरियर बिल से समर्थित कोरियर चार्ज का भुगतान संबंधित अधिकारी की सिफारिश के अनुसार किया जाएगा। जैसे लागू हो, सेवा-कर का भुगतान अलग से किया जाएगा।
14. बोर्ड के संबंधित कार्यालय से 50 कि.मी. के परे पार की गई दूरी केलिए वास्तविक आधार पर या बोर्ड द्वारा तय की गई दर में परिवहन-चार्ज का अलग से भुगतान किया जाएगा। एजेंसी मासिक तौर पर स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को पर्चियाँ प्रस्तुत करेगी। पर्चियाँ / बीजक दो फॉर्मेट में होंगे, नामतः क) नमूनन/स्टफिंग दर और लागू सेवा-कर सहित, ख) परिवहन व कोरियर चार्ज डेबिट नोट में। भुगतान करते समय नमूनन व स्टफिंग चार्ज पर लागू टी डी एस की कटौती बोर्ड द्वारा की जाएगी।
15. किसी खास बीजक के, प्रति निर्यातक प्रति गंतव्य 25 मीटरी टन या उससे कम एक ही मसाला उत्पाद को "लॉट" कहा जाता है। उसी परेषण का प्रत्येक अतिरिक्त 25 एम टी अतिरिक्त लॉट माना जाएगा। अगर एक ही मसाला उत्पाद के मिश्रित नमूने लिए जाते हैं, उसको केवल एक नमूना ही माना जाएगा। जिस नमूने की तीन सेट लेनी पड़ती हैं, उनमें से दो सेट स्पाइसेस बोर्ड को और एक सेट संबंधित निर्यातक को भेजना जरूरी है।
16. कोट की गई दर दो वर्ष की अवधि केलिए वैध रहेगी। एक क्षेत्र केलिए चुनी गई एजेंसी को दो सालों केलिए वैध सुरक्षा जमा के रूप में नीचे दिखाई गई राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

क्रम सं.	क्षेत्र	स्पाइसेस बोर्ड प्रयोगशालाएं	बैंक गारंटी राशि *
1	केरल व कर्नाटक (सहित)	गु.मू.प्र. कोच्ची / गु.मू.प्र. तूतिकोरिन	3 लाख
2	तमिल नाडु व पॉण्डिचेरी (सहित)	गु.मू.प्र. चेन्नई / गु.मू.प्र. तूतिकोरिन	3 लाख

3	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा (सहित)	गु.मू.प्र. मुंबई	3 लाख
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	गु.मू.प्र. गुंटूर	2 लाख
5	पश्चिम बंगाल, ओड़ीषा और उत्तर पूर्व (सहित)	गु.मू.प्र. कोलकोत्ता	2 लाख
6	गुजरात और राजस्थान (सहित)	गु.मू.प्र. काण्डला	2 लाख
7	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर (सहित)	गु.मू.प्र. नरेला	1 लाख

* पिछले वर्ष के दौरान लिए गए नमूनों की संख्या के आधार पर यह राशि निर्धारित है।

17.स्टफिंग लॉट के अनुसार होगा। स्टफिंग के पर्यवेक्षण के मामले में, यदि एक ही कंटेनर(एल सी एल) में एक से अधिक निर्यातक का परेषण होता है तो केवल एक स्टफिंग के पर्यवेक्षण शुल्क के लिए ही हकदार होंगे। उसी प्रकार, एक ही निर्यातक के विभिन्न तारीखों में नमूनन किए गए परेषणों को एक ही कंटेनर में स्टफिंग की है तो उसे एक ही लॉट के रूप में माना जाएगा। स्टफिंग- रिपोर्ट ऑनलाइन (ईएसएस)के ज़रिए स्पाइसेस बोर्ड के संबन्धित प्रादेशिक कार्यालय को भेज दी जाएगी।

18.काम सौंपने से पहले बोर्ड द्वारा सर्वेक्षकों की अवसंरचना सुविधाओं और मानवशक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।

19.स्पाइसेस बोर्ड समय समय पर, अपने विवेक के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप किसी भी जगह पर एक या एक से अधिक नमूनन एजेंसी को लगा सकता है या बिना कोई नोटिस दिए किसी भी समय पर किसी भी नमूनन एजेंसी की सेवाएं बंद करने का निर्णय ले सकता है।

20.निर्यातक समर्थन प्रणाली (ईएसएस), एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली, को नमूनन और स्टफिंग के पर्यवेक्षण के लिए कार्यान्वित किया गया है। किसी भी प्रकार से सिस्टम के खराब होने पर, ऑफ-लाइन प्रचालन पर विचार किया जाएगा, लेकिन बाद में ऑनलाइन में अद्यतन किया जाएगा।

21.क्षेत्र स्टाफ को नमूनन और स्टफिंग के काम सौंपने से पहले प्राधिकृत एजेंसी द्वारा बोर्ड को सत्यापन के लिए उनके नाम, फोटोग्राफ, योग्यता के प्रमाण में प्रमाणपत्र और आई डी कार्ड(आधार/मतदाता आई डी) की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। एजेंसी नमूनन/ स्टफिंग के पर्यवेक्षण के लिए क्षेत्र स्टाफ को पहचान भी जारी करेगी । एजेंसी द्वारा बोर्ड के संबन्धित कार्यालय से नमूनन/ स्टफिंग के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र एकत्रित किया जाएगा। नमूनन/ स्टफिंग के पर्यवेक्षण के लिए लगाए जानेवाले क्षेत्र स्टाफ को पहचान पत्र और प्राधिकार पत्र को अपने पास रखने होंगे।

22. नमूनन/स्टफिंग एजेंसियों द्वारा अपने क्षेत्र स्टाफ को संबन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। नमूनन एजेंसियों द्वारा किसी

प्रकार के श्रम नियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पर्यवेक्षक नमूनन/ स्टफिंग के लिए किसी नए क्षेत्र स्टाफ को नियुक्त करता है तो एजेंसी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए और पैरा- 21 में बताई गई अपेक्षाओं के अलावा, उनको मास्टर प्रशिक्षु के जरिए या स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वैसे, क्षेत्र स्टाफ को बार बार बदलना स्पाइसेस बोर्ड के हित के खिलाफ है और पर्यवेक्षक द्वारा जहां तक हो सके, इससे बचा रहना है।

23. इसके अलावा, एजेंसी द्वारा इस कार्य में लगे हुए सभी सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों) और पर्यवेक्षकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकृत नमूनन एजेंसी को क्षेत्र पर्यवेक्षकों के लिए लिए गए बीमा कवरेज के प्रकार का विवरण देना होगा।
24. सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों) और पर्यवेक्षकों को ऑनलाइन/इ-मेइल और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए नमूनन व स्टफिंग रिपोर्टों को अद्यतन करने तथा ऑनलाइन से ही प्रयोगशाला रिपोर्टों व दस्तावेजों को प्रदान करने का ज्ञान व कौशल होना चाहिए। एजेंसी को स्पाइसेस बोर्ड, निर्यातकों और सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों)/पर्यवेक्षकों को रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त आई टी अवसंरचना और सुविधाएं होनी चाहिए।
25. बोर्ड वेबसाइट से प्रक्रियाओं के फोटो/वीडियो सहित जरूरी सूचनाओं के ऑनलाइन अद्यतन के लिए नमूनन/ स्टफिंग हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास कर रहा है। मोबाइल एप्लिकेशन तैयार होने पर नमूनन/स्टफिंग पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त फील्ड स्टाफ को बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुसार प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग करना होगा।
26. फील्ड स्टाफ की योग्यता विज्ञान में प्लस टू/ हायर सेकेंडरी में, कम से कम उत्तीर्ण होना है।
27. एजेंसियों को आई एस ओ/आई ई सी 17025 या आई एस ओ 9001 गुणवत्ता प्रमाणन सहित प्रमाणित होना है।
28. ठेके की अवधि निष्पादन के आधार पर कम से कम 2 वर्ष है।
29. दरों को अनुबंध-II में दिये फॉर्मेट के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के लिए, अलग अलग कोट किया जाना चाहिए।
30. बोर्ड नमूनन के निर्धारित तरीके में फ़र्म के तजरूबे के प्रमाणन के दस्तावेजों से रहित निविदाओं को तिरस्कार करने का अधिकार रखता है।
31. निविदा से संबन्धित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची, फोन नं. - 0484-2333610 एक्सटेंशन 234/233/342, 2333607, इ-मेइल: sbdlm@indianspices.com से संपर्क करें।

मसालों के निर्यात परेषणों का नमूनन और कंटेनर में स्टफिंग का पर्यवेक्षण चलाने के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

जिस क्षेत्र के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है:

1	संगठन का नाम और पता टेलीफोन नं.: फैक्स नं.: इ-मेइल: संपर्क व्यक्ति का नाम :	
2	शाखा कार्यालयों का नाम और पता टेलीफोन नं.: फैक्स नं.: इ-मेइल: संपर्क व्यक्ति का नाम :	
3	फर्म का स्थापना-वर्ष	
4	क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है? अगर है तो उसका विवरण और चलाई गई जाँच	
5	क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला प्रत्यायित है, अगर है तो, प्रमाणपत्र का प्रमाण	
6	क्या एजेंसी को गुणवत्ता प्रमाणन अधिमानत: आईएसओ 9001 या आईएसओ / आईईसी 17025 प्राप्त हैं? यदि हाँ तो कृपया प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें	
7	प्रत्येक केंद्र के योग्यता-प्राप्त सर्वेक्षकों की संख्या	
8	फील्ड स्टाफ की योग्यता और फील्ड में उनके सेवा-अनुभव	संख्या योग्यता फील्ड में सेवा के वर्ष
9	आई टी अवसंरचना, फील्ड स्टाफ को प्रदान की गई यात्रा-सुविधा आदि (स्थान वार)	
10	नमूनन कार्य में अनुभव क) ई यू नमूनन ई सी नं.401/2006 ख) आई एस ओ 948:1980 ग) यू एस एफ डी ए बी ए एन अध्याय 1	

	उन ग्राहकों की सूची जिनके लिए आपने सर्वेक्षकों के रूप में काम किया है।				
	जिन निविदाओं का समर्थन नमूनन की विनिर्दिष्ट विधि में फर्म के अनुभव को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों से नहीं हुआ है, उनका निरसन करने का अधिकार बोर्ड को है।				
11	सर्वेक्षक लाइसेन्स का विवरण(यदि उपलब्ध है, तो)				
12	सर्वेक्षकों के लिए ली गई बीमा का प्रकार व टाइप				
13 क	आईएसओ 948:1980 नमूनन/भराई अधिवीक्षण की दरें	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु.)	प्रथम स्टफिंग (रु.)	अतिरिक्त स्टफिंग (रु.)
	i) 50 कि.मी.की शहर सीमा के अंतर्गत				
	ii) 50 कि.मी. की शहर सीमा के ऊपर				
13 ख	ई यू विनियम ई सी 401/2006 के अनुसार नमूनन की दरें	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु.)		
	i) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के अंतर्गत				
	ii) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के ऊपर				
13 ग	यूएसएफडीए बीएएम अध्याय 1 नमूनन विधि के अनुसार नमूनन की दर	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु.)		
	i) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के अंतर्गत				
	ii) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के ऊपर				
	*बोर्ड के नामोद्दिष्ट कार्यालयों को नमूनों की सुपुर्दगी (सीधे/कोरियर) के लिए नमूनन चार्ज प्रति लॉट कोट की जानी चाहिए। चार्ज में नमूनों के लिए अपेक्षित संलग्नक । की पैरा.5 में बताई गई सारी मदें शामिल होंगी। सेवा-शुल्क का भुगतान अलग से किया जाएगा। कोरियर की पर्ची की प्रस्तुति पर कोरियर-चार्ज का भुगतान भी किया जाएगा।				